

कार्यालय,
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 10075-10082 / जी-284(II) / 2023-24 / अधि०,

दिनांक 07 फरवरी, 2024

नियुक्ति आदेश का क्रमांक-6
डा० रश्मि घ्यानी,
पिता/पति श्री राजेन्द्र प्रसाद जोशी

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की संस्तुति के आधार पर आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना/नियुक्ति आदेश संख्या-219/XL-1/2024-03/2024, दिनांक 02 फरवरी, 2024 के क्रम में औपबन्धन सम्बन्धी वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्रों/शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन निदेशालय स्तर पर गठित समिति के द्वारा पूर्ण किये जाने के उपरान्त आपके द्वारा दिनांक 06.02.2024 को निदेशालय में प्रस्तुत की गयी योगदान सूचना के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि अधिसूचना/नियुक्ति आदेश संख्या-219/XL-1/2024-03/2024, दिनांक 02 फरवरी, 2024 के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित क्रमांक पर अंकित चिकित्सालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष योगदान सूचना निर्धारित समयान्तर्गत प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


(डा० एम०पी०सिंह)
संयुक्त निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ कि अधिसूचना/नियुक्ति आदेश संख्या 219/XL-1/2024-03/2024, दिनांक 02 फरवरी, 2024 में उल्लिखित निर्देशों के क्रम में उपरोक्त चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही योगदान/कार्यभार प्रमाणक रिपोर्ट की प्रति तत्काल निदेशालय को उपलब्ध करायें।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
6. नवनियुक्त चिकित्साधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली।
7. गार्ड फाईल।


(डा० एम०पी०सिंह)
संयुक्त निदेशक